ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

स्टाफ बस ठेका ई–निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम)

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित.
गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)– 474005

कुल पृष्ठ संख्या. 16

:: तालिका ::

(INDEX)

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक 01 से 16 तक
(1)	कवर पेज	01
(2)	तालिका/ई–निविदा आंमत्रण सूचना	02 से 03
(3)	निविदा प्रपत्र 1 – कार्य का विवरण, नियम व शर्ते	04 से 06
(4)	निविदा प्रपत्र 2 (अ) तकनीकी अर्हताये	07 से 08
(5)	निविदा प्रपत्र – 02 (ब) तकनीकी अर्हताये संबंधी नियम व शर्ते	09 से 11
(6)	निविदा प्रपत्र – 03 भावपत्र	12
(7)	निविदा प्रपत्र – 04 अनुबंध पत्र	13 से 16

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

स्टाफ बस ठेका ई–निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम)

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के गोला का मंदिर कार्यालय से मुख्य डेयरी संयंत्र, बानमोर दुग्ध संघ के स्टाफ को लाने एवं ले जाने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए स्टाफ बस प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से Two bid system ''दो बिड पद्धति'' (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई–निविदा (प्रथम) आमंत्रित की जाती है। निविदा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।

इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रू. 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) वेबसाइड http://www.mptenders.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक 26–11–2022 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 16–12–2022 शाम 05:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा होकर दिनांक 19–12–2022 दोपहर 03:00 बजे खोली जावेगी। किसी भी निविदा (निविदाओं) को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का संम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

ई–निविदा की संपूर्ण कार्यवाही www.mptenders.gov.in पर संपादित की जावेगी। निविदा संबंधी शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.sanchigwalior.com पर उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइटस पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाईट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
गोला का मंदिर, ग्वालियर– 474005

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र –01

1 - प्रस्तावना :–	
1.1	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के गोला का मंदिर कार्यालय से मुख्य डेयरी संयंत्र, बानमोर दुग्ध संघ के स्टाफ को लाने एवं ले जाने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए स्टाफ बस प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/ सहकारी संस्था/ एजेंसी/कम्पनी से Two bid system ''दो बिड पद्धति'' (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई–निविदा (प्रथम), निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।
2 - अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पता :–	
2.1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, ग्वालियर– 474005 म.प्र. दूरभाष नं. (0751) 2365523/ मो. नं. 9406900731
3 - निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क अधिकारी एवं ई–टेण्डरिंग हेतु वेबसाईट सम्बंधी विवरणः–	
3.1	प्रभारी (प्रशासन), ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, ग्वालियर –474005 म.प्र. दूरभाष नं. (0751) 2365523 E-Mail ID: gwaliordairy@gmail.com निविदा संबंधी नियम व शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mpcdf.nic.in www.sanchigwalior.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र क्रय व ई–निविदा ऑनलाईन अपलोड वेबसाईट :– http:// www.mptenders.gov.in पर किया जाना है।
4 - ई–टेण्डर का संक्षिप्त विवरण :–	
4.1	निविदाकर्ता राशि रूपये 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र) का ई–निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं।

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र –01

4.2	**निविदा आमंत्रण हेतु समय–सारणी :–**	
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 26–11–2022 प्रातः 11:00 बजे से
2	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 16–12–2022 शाम 05:00 बजे तक
3	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 19–12–2022 दोपहर 03:00 बजे से
4	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र)
5	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
6	निविदा वैधता अवधि	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 6 माह तक

5 -	**स्टाफ वाहन संबंधी ठेका की शर्तें :–**
5.1	निविदाकार द्वारा ई–निविदा प्रस्तुत करने पर यह समझा जावेगा कि उनके द्वारा स्टाफ वाहन निविदा हेतु दी गई विभिन्न सूचनाओं, शर्तो एवं अनुबंध पत्र आदि का भली भांति अध्ययन कर लिया गया है एवं स्टाफ वाहन हेतु निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है।
5.2	निविदा ई निविदा द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को नियत दिनांक को ऑनलाईन तथा मूल दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां समय सीमा में जमा करना अनिवार्य है।
3	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को तीन वर्ष की अवधि (2022–25) हेतु स्टाफ को लाने ले जाने के लिये सीट क्षमता 09 (टेम्पो ट्रेक्स/समकक्ष) के दो वाहनों की आवश्यकता है।
4	निविदाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि निविदाओं में पता, दूरभाष, फैक्स नम्बर, आदि में कोई परिवर्तन होता है तो समय पर ही दुग्ध संघ, ग्वालियर कार्यालय को सूचित करें, ताकि पत्राचार परिवर्तित पते पर किया जा सके।
5	किसी साझेदारी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के अलग–अलग हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये अथवा किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जो ऐसा करने के लिये विधि अनुसार अधिकृत है। ऐसा करने के लिये उस फर्म को पंजीकृत होना चाहिये तथा उससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6	यदि कोई निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है तो यह माना जावेगा कि उसे निविदा की सारी शर्तें एवं अनुबंध पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तें एवं विवरण स्वीकार हैं। निविदाकर्ता की कोई भी शर्त संघ को मान्य नहीं होगी ।
7	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तथा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं उनके निकटस्थ रिश्तेदारों को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।

8	यदि कोई निविदाकार नया वाहन खरीद कर लगाना चाहता है तो वह भी निविदा प्रस्तुत कर सकता है । उसकी निविदा स्वीकृत होने पर तथा उसे कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिन की समयावधि में वाहन एवं उससे संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।
9	निविदा दिनांक को स्टाफ वाहन का मॉडल वर्ष 5 या उसके बाद का होना आवश्यक है। वर्ष 5 से अधिक पुराना मॉडल होने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
10	निविदा प्रस्तुत करने के लिये रुपये 10,000/– (दस हजार रुपये) अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में निविदाकार निविदा के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा । अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । निविदाकार द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा । निविदा स्वीकृत नहीं होने पर अर्नेस्ट मनी निविदाकार को तीन माह के अन्दर वापिस कर दी जावेगी । इस हेतु निविदाकर्ता को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
11	एक से अधिक निविदाकारों की दरें न्यूनतम एक समान प्राप्त होने पर निविदाकारों के वाहन का मॉडल एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्णय/लाटरी से लिया जावेगा जिसमें प्रबन्धन का निर्णय अंतिम होगा।
12	निविदा स्वीकृत होने की सूचना मिलते ही निर्धारित समयावधि के अन्दर ठेकेदार को अपना वाहन प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में ठेका निरस्त कर अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
13	निविदा स्वीकृत होने के पश्चात कार्यादेश दिये जाने के 15 के अन्दर वाहन ठेकेदार को रुपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दुग्ध संघ के साथ अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा । ऐसा न करने पर उनके देयकों का भुगतान लंबित रखा जावेगा।
14	वाहन तीन वर्ष की अवधि के लिये अनुबंधित रहेगा।
15	काली सूची में पंजीबद्ध ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वमेय निरस्त मानी जावेगी।
16	निविदाकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन न करने पर अन्तिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर का होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार के हस्तरक्षर मय सील

स्थानः–   नाम :–..

दिनांकः–   पत्राचार हेतु पता :–..

....

दूरभाष/मो.नं. :–..

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र –02 (अ)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
ग्वालियर।

महोदय,

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ ग्वालिय के गोला का मंदिर कार्यालय से मुख्य डेयरी संयंत्र, बानमोर दुग्ध संघ के स्टाफ को लाने एवं ले जाने हेतु **दिनांक 26–11–2022** को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार स्टाफ बस वाहन प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः मै एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रूपये 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) को Online जमा कर पावती निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हताये के लिये प्रमाण पत्र के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क0	आवश्यक अर्हता	संलग्न है या नहीं अंकित करें	दस्तावेज संलग्न के पृष्ठो का विवरण
1	2	3	4
1	निविदाकार का नाम (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण पत्र)		
2	पिता का नाम		
3	पूरा पता (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)		
4	फोन नं0/मोबाइल नं0		
5	वाहन का नाम (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)		
6	मॉडल वर्ष (दिनांक, माह, वर्ष) (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)		
7	सवारी क्षमता (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)		
8	वाहन का पंजीयन क्रमांक (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)		
9	वाहन की बीमा पॉलिसी क्रमांक व अवधि (दस्तावेंजों की छाया प्रति संलग्न करें)		
10	टैक्सी/बस परमिट (दस्तावेंजों की छाया प्रति संलग्न करें)		
11	वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र (दस्तावेंजों की छाया प्रति संलग्न करें)		

12	वाहन का रोड टैक्स (दस्तावेंजों की छाया प्रति संलग्न करें)		
13	चालक का वैध लाइसेंस बैज नम्बर सहित (दस्तावेंजों की छाया प्रति संलग्न करें)		
14	आयकर का स्थाई खाता नम्बर (दस्तावेंजों की छाया प्रति संलग्न करें)		
15	क्या आपकी संस्था का एम.पी.सी.डी.एफ /इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/भोपाल/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है। यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।		
16	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/ दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है ? यदि काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।		

मैंने निविदा आमंत्रण सचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार के हस्तरक्षर मय सील

स्थानः–　　　　नाम　　　:–...

दिनांकः–　　　　पत्राचार हेतु पता :–...

....

दूरभाष/मो.नं.　:–...

<u>प्रपत्र –02 (ब)</u>

❖ **तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश व शर्ते :–**

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., ग्वालियर को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1– निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।

2– ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, ''निविदा की सामान्य शर्तें '' प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) ''तकनीकी अर्हतायें'' में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति तथा तकनीकी अर्हताओं के 20 बिन्दुओं से संबंधित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एक लिफाफे में डालकर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये ''स्टाफ बस ठेका ई–निविदा (प्रथम)'' लिखा जावे एवं निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता भी लिखा जावे। **इस लिफाफे को सील बंद लिफाफे में डालकर ग्वालियर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 16–12–2022 को शाम 06:00 बजे तक अनिवार्यतः जमा करना होगा।** निर्धारित समय के पश्चात् प्रेषित उक्त दस्तावेजों को प्राप्त नहीं किया जावेगा तथा संबंधित निविदाकार की निविदा को अमान्य किया जावेगा।

3– निविदाकार को ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, ''निविदा की सामान्य शर्तें'' प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) ''तकनीकी अर्हतायें'' में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति की स्केन कॉपी एवं भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 03) को ही ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। किन्तु निविदा प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में वर्णित तकनीकी अर्हताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 02 में वर्णित अनुसार ऑफलाइन (भौतिक रूप से) जमा कराना होगा।

4– निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।

5– तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाइन खोली जायेंगी।

6– कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7– निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा तथा इस हेतु निर्धारित अर्हताओं के संलग्न दस्तावेजों में पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रपत्र 02 (अ) के कालम क्रमांक 4 में उक्त पृष्ठ क्रमांक दर्शाया जाना अनिवार्य है।

8– निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earnest Money) राजसात की जावेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
ग्वालियर

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार के हस्तरक्षर मय सील

स्थानः– नाम :–...
दिनांकः– पत्राचार हेतु पता :–..
....
दूरभाष / मो.नं. :–...

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 15 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ–पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).. (पता).. शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूॅ।

2. यह कि, मुझ शपथकर्ता/फर्म के विरूद्ध न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।

3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम)...(आयु)................................... (पता)..शपथकर्ता सत्यापित करता हूॅ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 16 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).. (पता)...(पंजीयन क्रमांक)............................ शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।

2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ....को किसी शासकीय संस्था/ निगम मण्डल/औद्योगिक संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।

3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम)..(आयु)................................... (पता)...शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र–03

"भाव पत्र/दर" (केवल ऑनलाईन भरी जावेगी)

क्र	विवरण	
1	निविदा दर दो प्रतिपारी/3000 कि.मि. न्यूनतम (अंको में) (शब्दो में)	
2	अतिरिक्त चलने पर प्रति किलोमीटर दर (अंको में) (शब्दो में)	
3	निविदा दर एक प्रतिपारी/1500 कि.मि. न्यूनतम (अंको में) (शब्दो में)	
4	अतिरिक्त चलने पर प्रति किलोमीटर दर (अंको में) (शब्दो में)	
5	जी0एस0टी0 का भुगतान वाहन ठेकेदार द्वारा किया जावेगा तथा भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर जी0एस0टी0 मद में व्यय राशि की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी।	

नोट– ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ, गोला का मंदिर कार्यालय से न्यू डेरी प्लांट बानमोर तक जाना एवं न्यू डेरी प्लांट बानमोर से गोला का मंदिर वापस आना एक पारी/ट्रिप माना जावेगा।

एक वाहन प्रति 02 पारी में उपयोग किया जावेगा, जिसमें आना–जाना अथवा 3000 कि.मि न्यूनतम होगा।

एक वाहन प्रति 01 पारी में उपयोग किया जावेगा, जिसमें आना–जाना अथवा 1500 कि.मि न्यूनतम होगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :– नाम :–

दिनांक :– पत्राचार हेतु पता :– ....

....

दूरभाष/मो.नं. :– ....

....

:: अनुबंध पत्र ::

आज दिनांक ....को यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष कहलायेगें तथा मेसर्स/श्री .... पुत्र श्री ....निवासी ...., (जिसे एतद् पश्चात वाहन ठेकेदार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) जो कि अनुबंध में द्वितीय पक्ष कहलायेगें, के मध्य ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर, ग्वालियर के गोला का मंदिर कार्यालय से मुख्य डेयरी संयंत्र, बानमोर दुग्ध संघ के स्टाफ को लाने एवं ले जाने हेतु स्टाफ बस वाहन प्रदाय करने के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा स्टाफ बस ठेकेदार के रुप में कार्य करने के लिये यह अनुबंध निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :–

1– यह कि, संघ के द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना, परिवहन दर आमंत्रण, सूचना पर द्वितीय पक्ष द्वारा उनके दो टेम्पो टैक्स वाहन क्रमश...**एवं** .... को संघ के स्टाफ को गोला का मंदिर से न्यू डेरी संयत्र बानमोर ले जाने एवं न्यू डेयरी संयत्र बानमोर से गोला का मंदिर ग्वालियर वापस लाने हेतु प्रस्तुत निविदा, परिवहन दर आवेदन को प्रथम पक्ष द्वारा निगोशियेशन आदि के उपरान्त जारी किये गये । आदेश क्रमांक ....एवं .... द्वारा **दर रुपये** .... **प्रति वाहन/. प्रतिपारी दोनों पारी की दर से दो वाहनों का दो पारी का रुपये** .... **प्रतिदिन समस्त कर सहित एवं अतिरिक्त किलोमीटर चलने पर दर रुपये** .... **प्रति किलोमीटर पर समस्त कर सहित** दिनांक... से .... तक की अवधि के लिये स्वीकार किया गया है।

2– यह कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी से तात्पर्य इस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी से होगा चाहे भविष्य में यह पद किसी भी नाम से जाना जाये।

3– वाहन ठेकेदार को अनुबंधित वाहन से संघ के स्टाफ को गोला का मंदिर कार्यालय से दुग्ध संयत्र बानमोर ले जाना तथा दुग्ध संयत्र बानमोर से गोला का मंदिर कार्यालय वापिस लाना होगा। यह ठेका दिनांक .... से. .... तक की अवधि तीन वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगा। निविदा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।

4– अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करने पर अनुबंध की अवधि मे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध (ठेका) को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।

5– अनुबंधित वाहन में ड्रायवर के अलावा वाहन ठेकेदार का अन्य कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकेगा तथा ड्रायवर के पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना अनिवार्य होगा। चालक के वैध लायसेंस, वाहन का पंजीयन, टैक्सी परमिट, फिटनेस, रोड़ टैक्स आदि की फोटो प्रतियॉ अनुबंध के पूर्व संघ के प्रबन्धक (प्रशासन) को मूल दस्तावेजों से प्रमाणित कराकर जमा करना होगी।

6– वाहन ठेकेदार को अपना आय कर का स्थाई खाता नम्बर कार्ड की छाया प्रति कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करने पर ही देयकों का भुगतान किया जावेगा।

7— ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों का भुगतान किया जावेगा, इस संबंध में ठेकेदार को देयक अगले माह की 02 तारीख तक दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात प्रस्तुत देयको पर कार्यवाही अगले देयक के साथ की जावेगी। निर्धारित अवधि में प्रस्तुत देयकों का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जावेगा।

8— प्रत्येक परिवहन देयक से नियमानुसार आयकर कटोत्री की जावेगी, जिसका कटोत्रा (फार्म नम्बर 16) ठेकेदार को वर्षान्त पर मांग करने पर दिया जावेगा।

9— वाहन हमेशा अच्छी हालत में रखना होगा।

10— वाहन को प्रतिदिन समय सारिणी अनुसार स्टाफ को लाना ले जाना होगा अथवा बताये गये समय पर गोला का मंदिर कार्यालय/न्यू डेरी प्लांट, बानमोर में उपस्थित रखना अनिवार्य होगा।

11— नियत समय से 10 मिनट पश्चात एवं आधे घंटे तक अगर वाहन उपस्थित नहीं होता है तारे रुपये 500/— का जुर्माना वाहन ठेकेदार को भुगतना होगा । नियत समय से आधे घंटे से अधिक विलम्ब होने पर उस दिन कार्यालय द्वारा वाहन उपयोग में नहीं लाया जावेगा एवं ठेकेदार को रुपये 1,000/— का जुर्माना भुगतना होगा।

12— ठेकेदार को रुपये 50,000/— (रुपये पचास हजार) जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी रुपये 10,000/— (रुपये दस हजार) का समायोजन जमानत राशि में किया जा सकेगा।

13— यदि अनुबंधित वाहन रास्ते में खराब होने की बजह से उस दिन का निर्धारित स्टाफ ट्रिप पूर्ण नहीं करता है तो उस दिन की ट्रिप का भुगतान संघ द्वारा नहीं किया जावेगा।

14— किसी दिन अगर अनुबंधित वाहन उपस्थित नहीं होता एवं ठेकेदार किसी अन्य वाहन की व्यवस्था करता है तो उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना होगी अन्यथा वह वाहन उपयोग में नहीं लाया जावेगा।

15— सामान्यतः अनुबंध अवधि में वाहन की स्वीकृत दरों में कोई वृद्धि नहीं की जावेगी। परन्तु शासन द्वारा डीजल, ऑयल (पी0ओ0एल0) की दरों में वृद्धि किये जाने की स्थिति में दरों में आनुपातिक वृद्धि पर विचार किया जा सकेगा। इस बाबत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा, वह ठेकेदार को मान्य होगा। डीजल दरों में कमी/वृद्धि होने की स्थिति में गणना कम्पनियों द्वारा निर्धारित माइलेज के आधार पर की जावेगी।

16— वाहन ठेकेदार को संघ द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें एवं समय—समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा।

17— विवाद की स्थिति में न्यायालय का कार्यक्षेत्र ग्वालियर रहेगा।

18— वाहन ठेकेदार को रुपये 100.00 (रुपये एक सौ मात्र) का भुगतान कर संघ का नाम मात्र का सदस्य बनना अनिवार्य होगा एवं इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। नाम मात्र सदस्य बनने के बाद ठेकेदार को संघ के किसी कार्य में हस्तक्षेप करने अथवा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, यह राशि वापसी भी नहीं की जावेगी।

19— वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंध (ठेका) अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन बंद कर लिये जाने की स्थिति में ठेकेदार तथा उसके वाहन को ''काली सूची'' में दर्ज किया जाकर पांच वर्षों के लिये प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा उसके समस्त लंबित देयकों एवं प्रतिभूति राशि को संघ द्वारा जप्त कर लिया जावेगा । परन्तु अनुबंधित वाहन के दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में जबकि वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया हो, इस शर्त को विवेक के आधार पर शिथिल किया जा सकेगा।

20— वाहन के मार्ग में पड़ने वाले टोल टैक्स, नाकों एवं मार्ग के अन्य करों का भुगतान ठेकेदार को ही वहन करना होगा।

21— वाहन ठेकेदार को स्टाफ को ले जाने हेतु लाने हेतु संघ द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत मोटर वाहन ही उपयोग में लाना होगा। साधारणतः ठेकेदार बिना संघ की अनुमति के स्टाफ कार्य हेतु अनुबंधित वाहन नहीं बदल सकेगा। वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिये बिना अनुमति के वाहन बदला जा सकेगा। परन्तु इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक से अधिक दिन का समय लगता है तो संघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि के लिये दूसरा वाहन उसी क्षमता का एवं प्रकार का चलाया जा सकता है। यदि उसी क्षमता एवं प्रकार का वाहन नहीं चलाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कम क्षमता वाले चार पहिये का वाहन चलाने पर रुपये 1,000/— प्रतिट्रिप /पारी की दर से कटोत्री की जावेगी।

22— मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताये ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा। परन्तु ठेकेदार /वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा आपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की सूचना मिलने की स्थिति में, यह ठेका अपने आप समाप्त समझा जावेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध को निरस्त कर दें। अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में संघ को जो भी हानि होगी उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि वसूली योग्य राशि ठेकेदार को संघ में जमा राशि से अधिक होती है तो वह रकम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

23— लेबर कानून, मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मोटर वाहन एवं उसके कर्मचारियों से संबंधित सभी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

24— अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात 10 दिनों के अन्दर ठेकेदार को वाहन की कॉप्रिहेन्सिव बीमा पॉलिसी सत्यापन हेतु संघ कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वाहन के साथ उसमें चलने वाले कर्मचारियों, वाहन से ले जाने वाली सामग्री की अनुमानित राशि की बीमा कव्हर किया जावेगा। बीमा पॉलिसी प्रस्तुत न करने की दशा में अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा व प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।

25— अनुबंध अवधि के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत यातायात नियमों का पालन करने संबंधी सम्पूर्ण जबावदारी ठेकेदार की होगी।

26— अनुबंध निष्पादन के पश्चात ठेकेदार को अनुबंध की अवधि के दौरान संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त करना होगा तथा इसके साथ ही समस्त श्रम विधान जो ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ पर लागू हों अथवा जो समय—समय पर लागू हों का पालन ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा । ऐसे सभी विधान के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे— ई0एस0आई0/ई0पी0एफ0 अधिनियम के अन्तर्गत ई0एस0आई0/ई0पी0एफ0 उपादान तथा वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जबावदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

27— यदि वाहन ठेकेदार एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी विवाद आर्बीट्रेशन हेतु ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष को सन्दर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बन्धनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत सन्दर्भित होगी।

28— भविष्य में परिस्थतियों वश अनुबन्ध पत्र की शर्तों में संशोधन करना या अन्य कोई शर्ते समाविष्ट करना आवश्यक हुआ तो दोनों पक्षों की सहमति से शर्तो में परिवर्तन किया जा सकेगा।

29— जी0एस0टी0 का भुगतान वाहन ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। तथा भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर जी0एस0टी0 मद में व्यय राशि की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए अनुबंध निष्पादित कर रहा हूँ।

स्थानः—................................
दिनांकः—..............................

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार
वाहन ठेकेदार

हस्ताक्षर प्रथम हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

गवाहः—

1— हस्ताक्षर ....
नाम..
पता...

2— हस्ताक्षर ....
नाम..
पता...

1— हस्ताक्षर ....
नाम...
पता...

2— हस्ताक्षर ....
नाम...
पता...